भाग दो : खण् ड चार

वनोपज का राष्ट्र्ीयव् यापार

मध् य ूदेश वन उपज (व् यापार िविनयमन) अिधनियम, 1969

(मध् यूदेश अिधनियम बमांक 9, वषर् 1969)

भोपाल, िदनांक 1 अगः त, 1969 अिध. ब. 21438-इक् कीस अ (ूा.) मध् यूदेश िवधान सभा का िनम् निलिखत अिधनियम, िजस पर िदनांक 31 जुलाई 1969 को राष्टर्पित की अनुमित ूाप् त हो चुकी है, एतद्द्वारा सवर्साधारण की जानकारी के िलये ूकािशत िकया जाता है।

कितपय वनोपज के व् यापार को, लोकिहत में, िविनयिमत करेन और तदथर् उस व् यापार में राज् य का एकािधकार उत् पन् न करने के िलये उपबन् ध करने हेतु अिधनियम। भारत गणराज् य के बीसवें वषर् में मध् य ूदेश िवधान मण् डल द्वारा इसे िनम् निलिखत रूप में अिधनियमित िकया जाय :

धारा 1. संिक्षप् त नाम िवः तार - (1) यह अिधनियम, मध् य ूअिधनियम, 1969 कहा जावेगा।

(2) इसका िवः तार संपूणर् मध् य ूदेश पर है।

देश वन उपज (व् यापार िविनयमन)

(3) (एक) यह, ऐसे क्षेऽों में तथा ऐसी वन उपज के सम् बन् ध में तत् काल ूवृत् त होगा, िजन् हें मध् य ूदेश वन उपज (व् यापार िविनयमन) अध् यादेश 1969, जो धारा 23 के अधीन िनरः त कर िदया गया है, की धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन जारी की गई अिधसूचना द्वारा िविनिदर्ं ट िकया गया हो, और

(द) ऐसे अन् य क्षेऽ या क्षेऽों में तथा ऐसे अन् य वन उपज के सम् बन् ध में तथा ऐसी तारीख या तारीखों से ूवृत् त होगा या िजसे या िजन् हें राज् य सरकार अिधसूचना द्वारा इस सम् बन् ध में िविनिदर्ं ट करें।

नोट - िविभन् न अिधसूचनाओं द्वारा, िविभन् न क्षेऽों में वन उपज में ूवृत् त होने की सूचनायें िनम् नानुसार हैं :

अिधसूचना ब.	वृत् त होने का िदनांक	क्षेऽ	वन उपज िवशेष
(1) 3544/X/69 21-6-69	िद. 21.6.69	सम् पूणर् मध् य ूदेश वन वृत् त बः तर, रायपुर, िबलासपुर, होशंगाबाद, शहडोल, रीवा, मध् य (जबलपुर) तथा बालाघाट	महुआ फूल, महुआ बीज कुल् लू गोंद ।िवलोिपत
(2)289-1344-X 1-9-1970 (3) - 70 10-8-70	1-9-1970	सीधी, शहडोल, सरगुजा, (केवल चाँद भखार वन खण् ड) होशंगाबाद, बैतूल, दुगर् एवं बः तर राजः व िजले	सागौन (टेक् टोना मेिडस) साल (शोिरया रोबः टा) साज (टिमर्निलया टोमेन) टोसा बीजा (टारोकार पास
(3)706-503-X (3) -72 िदनांक 12-6-72 पृष्ठ 1734		1. पूरा मध् य ूदेश 2. पूरा मध् य ूदेश 3. राजः व िजले, सीधी, शहडोल, सरगुजा, (केवल चाँद भरवार वन मण् डल) होशंगाबाद, बैतूल, रायपुर, दुगर्, बः तर	महुआ फूल, महुआ बीज साज (टिमर्निलया टोमेनटोसा)
(4)30-31-73-3-1 दस/िद. 30-6-73	1 जुलाई 1973	रायसेन, भोपाल, सीहोर, शाजापुर, राजगढ़, िविदशा, िसवनी, तथा िछन् दवाडा राजः व िजले	सागौन (टेक् टोना मािन्डस) साल (शोिरया रोबः टा) बीजा (टोरोकारपस मार सूिपयम,) शीशम (डलबर िजया लेिटफोिलया की
(5)704-503-10 (10)-3-72 िद. 12-6-72 राजपऽ िद.		राजः व िजले सीधी, शहडोल, सरगुजा (केवल चाँद भरवारा वन मण् डल), होशंगाबाद, बैतूल, रायपुर, दुगर्, तथा बः तर	शीशम (डलबरिजया लेिटफोिलया) इमारती लकड़ी
12-6-72, पृष्ठ 1735			
(6)1290-896-X 4-72 िद. 14-9-72 राजपऽ 14-9-72	14.9.72	सागर, दमोह, पन् ना, छतरपुर, टीकमगढ़ राजः व िजले	सागौन (टेक् टोना मािन्डस) साल (शोिरया रोबः टा) बीजा (िटरोकारपस मारसूिपयम), शीशम (डलबरिजया लेिटफोिलया)

(7) 86-73- 1- दस िद. 9-11-73 राजपS िद. 10-9-73 पृष्ठ 36	9.11.73	रायपुर, दुगर्, बः तर, राजनांदगांव, िबलासपुर, रायगढ़ सरगुजा, जबलपुर, बालाघाट, िछन् दवाडा, नरिसंहपुर, िसवनी, मण् डला, रीवा, सीधी, सतना, पन् ना, शहडोल, पूवर् िनमाड़, होशंगाबाद, बैतूल, टीकमगढ़	2सभी ूकार के बाँस

1. अिध. ब. 25-28-03 दस-3 िद. 28.6.03 से 1-7-03 से कुल् लू को छोड़ अन् य गोंद तथा हरार्- िनमुर्क् त।2. शब् द "सभी जाित के बांस" िवधान ब. 5 वषर् 1974 (िद. 2-2-74) पृष्ठ 161 पर राजपS में ूकािशत से जोड़ा।

(8)30-16-1974 - X-3-1 िद. 31-8-1974 पृष्ठ 2101	1-9-74	नरिसंहपुर, मण् डला, जबलपुर, खण् डवा	सागौन (टेक् टोना मािन्डस) शीशम (डलबरिजया लेिटलोिलया), साल (शोिरया रोबः टा)
(9)31-9-75 3-1-X िद. 9-12-75 9-12-75 पृष्ठ	9-12-75	राजः व िजले बः तर, रायपुर, बालाघाट, सीधी, िछन् दवाडा, मण् डला, जबलपुर, राजनांद गांव होशंगाबाद।	1साल बीज
(10)30-37-76-III-K िदनांक 24.9.76 राजपSिद. 24.9.76 पृष्ठ 2867		राजः व िजले रीवा, सतना, सरगुजा, (उत् तर तथा दिक्षण सरगुजा वन मण् डल) इन् दौर, उज् जैन, मंदसौर, रतलाम, देवास, धार, झाबुआ, पिश्चम िनमाड, ग् वािलयर, िभण् ड,	सागौन (टेक् टोना मांिडस), (शोिरया रोबः टा) बीजा (िटरोकारपस मारसूिपयम) शीशम (डलबिजर्या लेटीफोिलया) की इमारती
(11)30-1-75-3 X- 1 िद. 9-10-75 राजपSिद. 10-10-75 पृष्ठ 2302	10-10-75	सम् पूणर् मध् य ूदेश	खेर (अकेिशया केटेच् यू)

म.ू. (वन उपज) व् यापार िविनयम अिधनियम, 1969 की धारा 22 (क) के अन् तगर्त ूदत् त शिक्तयों का ूयोग करते हुए राज् य शासन एतद्द्वारा य ह िनदेर्श देती है िक 1 जुलाई, 2003 के कुल् लू गोंद को छोड़कर हरार् तथा समः त ूकार की गोंद, सम् पूणर् मध् य ूदेश के िविनिदर्ं ट वनोपज नहीं रहेगी।

धारा 2. पिरभाषाएं - इस अिधनियम में जब तक संदभर् में अन् यथा अपेिक्षत न हो

(क) 'अिभकतार्' से अिभूेत है, धारा 4 के अधीन िनयुक् त िकया गया अिभकतार्।

(ख) 'कोड' से अिभूेत है मध् यूदेश लैण् ड रेवेन् यू कोड, 1959 (बमांक 20, वषर् 1959)

1(ग) 'सिमित' से अिभूेत है धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन ूत् येक राजः व आयुक् त के संभाग के िलए गिठत सिमित।

(घ) 'वन उपज' से अिभूेत है। 1सभी जाित की, कां ठ, खैर, (कत् था) (केटेच् यु) िखिदर (कुछ),

1. "साल बीज" अिधसूचना ब. 1241/21;;;/ िद. 5-5-75, राजपS िद. 5-5-75 पृष्ठ 119 पर ूकािशत से जोड़ा गया।
2. पिरभाषा 'घ' में सभी जाित के अिध ब. 5 वषर् 1974 (2.2.74) जो राजपS में 2.2;.74 के ूकािशत से जोड़ा गया।

कुल् लू गोंद, (धावड़ा गोंद, बबूल गोंद, खैर गोंद, साल की राल (Resin), सालई की राल (Salai Resin), रोशा घास, रोशा घास का तेल, समः त रूप में लाख, चपड़ा, महुआ के फूल, महुआ बीज, (टोली), िनचरोंजी 1साल बीज, गुठली, हरार् और कचिरया, माहुल के पत् ते, माहुल की छाल, फूल बुहारी घास या फूल बुहारी।

(ङ) 'शासकीय पट्टाधारी', से अिभूेत है कोड की धारा 181 के अधीन राज् य सरकार से भूिम धारण करने वाला व् यिक्त

(च) 'वन' उपज उगाने वाला व् यिक्त।

(एक) उन क्षेSों में, जो समय-समय पर भारतीय वन अिधनियम, 1927 (ब. 16, वषर् 1927) के अधीन आरिक्षत या संरिक्षत वनों के रूप में गिठत िकए गए हों, उगाई गई या पाई गई वनोपज के संबंध में राज् य सरकार से है, और,

(दो) उपयुर्क् त (एक) के अन् तगर्त न आने वाले क्षेSों में उगाई गई या पाई गई वन उपज के सम् बन् ध;

(क) राज् य सरकार से है, जहाँ वन उपज कोड की धारा 2 के उपधारा (1) की क् लाज (x-3) में यथा

परिभाािषत दखल रिहत भूिम पर उगाई या पाई जावे।

(ख) िकसी इकाई के अन् तगर्त आने वाले, यथािः थित ऐसे खाते के उधारी या भाड़ेदार (Tenant) या शासकीय पट्टेधारी (Government Lessee) या ऐसी सेवा भूिमधारी (Holder or Service land) से है। िजसमें वन उपज अगती हो या पाई जाती हो या उसके अन् तगर्त ऐसा व् यिक्त आता है, जो समय-समय पर उसके माध् यम से ऐसी वन उपज पर हक का दावा करता हो, और

(ग) िकसी ऐसी इकाई में, िजसमें की वन उपज उगती हो या पाई जाती हो, मध् य ूदेश भूदान यज्ञ अिधनियम, 1968 (ब. 28, वषर् 1968) के अधीन भूदान धारक से है और उसके अन् तगर्त ऐसा ू त् येक व् यिक्त आता है, जो समय-समय पर उसके माध् यम से वन उपज पर हक का दावा करता हो।

(छ) खाता से अिभूाय -

(एक) ऐसे भूिम खण् ड से है िजसका भूराजः व पृथक से िनधार्िरत हुआ हो और जो एक ही धारणािधकारी (Tennure) के अधीन धािरत हो, और

(दो) भाड़ेदार या शासकीय पट्टेधारी द्वारा भूिम के सम् बन् ध में एक ही पट्टे या एक ही साथ चलने वाली शतोर्ं के अधीन यथािः थित भूिम ः वामी या राज् य सरकार से धारण िकये गये भूिम खण् ड से है।

(ज) सेवा भूिम के धारक से अिभूेत है गांव के सेवक के रूप में सेवा करने की शतर् पर भूिम धारण करने वाला व् यिक्त।

(झ) 'अनुज्ञप् त िवबेता' (Licence Vendor) से अिभूाय, िविनिदर्ं ट वन उपज के सम् बन् ध मेंउस व् यिक्त से है, िजसे ऐसी वन उपज के फुटकर िवबय के िलये धारा 13 के अधीन अनुज्ञिप्त दी गई हो।

(ञ) 'फुटकर िवबय' (Retail Sale) से अिभूेत है, ऐसे पिरणाम से, िजसे की राज् य सरकार अिधसूचना द्वारा, ऐसी िविनिदर्ं ट वन उपज के सम् बन् ध में िविनिदर्ं ट करे, अिधक न होने वाली िकसी िविनिदर्ं ट वन उपज का िवबय।

---

1. पिरभाषा 'घ' में साल बीज अिध. ब. 1241/21/A/िद. 5.5.75 (राजपऽ में पृष्ठ 119 िद. 5.5.75 को ू कािशत से जोड़ा गया।

(ट) 'िविनिदर्ं ट क्षेऽ' (Specified Area) से अिभूाय िकसी िविनिदर्ं ट वन उपज के सम् बन् ध में, ऐसे क्षेऽ से है, जो िक धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन अिधसूचना में ऐसी िविनिदर्ं ट वनोपज के िलये िविनिदर्ं ट िकया हो।

(ठ) 'िविनिदर्ं ट वन उपज' से अिभूाय, िविनिदर्ं ट क्षेऽ के सम् बन् ध में ऐसी वन उपज से है जो धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन अिधसूचना में ऐसी िविनिदर्ं ट क्षेऽ के िलये िविनिदर्ं ट की गई हो।(ङ) भाड़ेदार (Tenant) से अिभूेत है कोड के चौदहवें अध् याय अधीन भूिम ः वामी से मौरूसी काँ तकार (Occupancy Tenant) से रूप में भूिम धारण करने वाला व् यिक्त।

(ढ) 'भूधारी' (Tennure Holder) से अिभूेत है वह व् यिक्त जो राज् य सरकार से भूिम धारण करता हो और जो कोड के उपबन् धों के अधीन भूिम ः वामी हो, या भूिम ः वामी माना गया हो।

(ण) [1]'कां ठ' (Kashtha) से अिभ ूेत है िनम् निलिखत वृक्षों की, खड़ी हुई (Standing) या काट कर िगराई गई समः त लकड़ी चाले वह िकसी ू योजन के िलये काटी गई हो, (Fashioned) या खोखली की गई हो (Hollowed) अथवा नहीं -सागौन (Tectona grandis)

साल	(Shorea robusta)
बीजा	(Pterocarpus marsupium),
ितन् सा	(Ouginia dalbergoides),
शीशम	(Delbergia latifolia),
धाबड़ा	(Aenogeissus latifolia),
साज	(Terminalia tomentosa),
महुआ	(Madhuka latifolia),
िभरार्	(Chloroxylon swietenia)
करंज	(Pongamia glabra),
तेन् दू	(Diospyros melonoxylon),
लेंिडया	(Lagerstromea parviflora),
सालाई	(Boswellia parviflora),

(त) इकाई (unit) से अिभूेत है िविनिदर्ं ट क्षेऽ का वह उपखण् ड जो धारा 3 के अन् तगर्त इकाई के रूप में गिठत िकया गया हो।

(थ) उन शब् दों तथा अिभव् यिक्तयों का जो इस अिधनियम में उपयोग में लाई गई िकन् तु पिरभािषत नहीं की

गई हों और जो भारतीय वन अिधनियम 1927 (ब. 16 वषर् 1927) में पिरभािषत की गई हो, वही अथर् होगा जो िक उनके िलये उस अिधनियम में िदया गया है।

धारा 3. ईकाईयों का गठन - राज् य सरकार ूत् येक िविनिदर्ं ट क्षेS को उतनी इकाइयों में िवभािजत कर सकेगी, िजतनी िक वह उपयुक् त समझे, िकन् तु िव िनिदर्ं ट क्षेS को, िभन् न-िभन् न िविनिदर्ं ट वनोपज के िलये िभन् न-िभन् न इकाइयों में िवभािजत िकया जा सकेगा।

---

1. मध् य ूदेश िवधान ब. 28 वषर् 1983 जो म. ू. राजपS िद. 9 अगः त, 1983 (पृष्ठ 2264) पर ूकािशत के द्वारा संशोिधत पिरभाषा एवं वृक्षों की सूची।

धारा 4. अिभकाताओं की िनयुिक्त - (1) राज् य सरकार िविनिदर्ं ट, वन उपज के अपनी ओर से बय तथा व् यापार हेतु, िभन् न-िभन् न इकाइयों के िलए समः त या िकसी िविनिदर्ं ट वन उपज के िलये एक या अिधक अिभकताओं की िनयुिक्त कर सकेगी, तथा कोई भी ऐसा अिधकतार् एक से अिधक इकाइयों के िलये िनयुिक्त िकया जा सकेगा।

(2) [1]िकसी सहकारी सोसायटी, माम पंचायत या जनपद पंचायत को उपधारा (1) के अधीन अिभकतार् िनयुक् त िकया जा सकेगा और उस दशा में जब पूवोर्क् त में से कोई भी अिभकतार् की िनयुिक्त के िलये नहीं आता (ः वीकार नहीं करता), तब ही िकसी अन् य व् यिक्त को अिभकतार् के रूप में इस ूकार िनयुक् त िकया जा सकेगा।

(3) अिभकताओं के िलये िनयुिक्त के सम् बन् ध में िनबन् धन एवं शतेर्ं तथा ूिबया ऐसी होगी, जैसी िविहत की जावे।

धारा 5. िविनिदर्ं ट वन उपज के बय या पिरवहन पर िनबन् धन - (1) िकसी भी क्षेS के सम् बन् ध में धारा (1) की उपधारा (3) के अधीन अिधसूचना जारी होने पर :

(क) राज् य सरकार

(ख) इस सम् बन् ध में िलिखत रूप से ूािधकृत िकये गये राज् य सरकार के कोई अिधकारी।

(ग) िजस इकाई में वन उपज उगाई हो या पाई जाती हो, उस इकाई से सम् िबन्धत अिभकतार् से िभन् न कोई भी व् यिक्त ऐसी िविनिदर्ं ट वन उपज का ऐसे क्षेS में न तो बय करेगा और न पिरवहन करेगा।

ः पं टीकरण - 1. बय में वः तु िविनमय (Barter) द्वारा बय सिम्मिलत है।

ः पं टीकरण - 2. राज् य सरकार या पूवोर्क् त शासकीय अिधकारी, अिभकतार् या अनुज्ञप् त िवबेता [2]या धारा 12(क) के द्वारा िकया गया िविनिदर्ं ट वनोपज का बय, इन िनयमों के उपबन् धों के उल् लंघन में िकया गया बम नहीं समझा जायेगा।

ः पं टीकरण - 3. खाते में कोई िहत न रखने वाले िकसी ऐसे व् यिक्त के सम् बन् ध में, िजसने िक ऐसे खाते में उगाई गई या पाई गई, िविनिदर्ं ट वन उपज का संमह का अिधकार अिजर्त कर िलया हो, यह समझा जायेगा िक उसने इस अिधिनयम के उपबन् धों का उल् लंघन कर ऐसी उपज का बय िकया है।

(2) उपधारा (1) में अन् तिवर्ं ट िकसी बात के होते हुए भी -

(क) महुआ से िभन् न वन उपज उगाने वाला, अपनी उपज का पिरवहन उस इकाई के भीतर, िजसमें िक ऐसी वन उपज उगाई जाती हो या पाई जाती हो िकसी ः थान से, उस इकाई में के िकसी अन् य ः थान को कर सकेगा और महुआ उगाने वाला महुआ को अपे कब् जे में रख सकेगा और उसका पिरवहन उस िजले के भीतर के, जहाँ िक महुआ उगाया जाता हो या पाया जाता हो, िकसी ः थान से उस िजले के िकसी ः थान को कर सकेगा।

(ख) कोई व् यिक्त ऐसे पिरमाण में, जैसा िक िविनिदर्ं ट िकया जावे, अनिधक वन उपज का पिरवहन, ऐसी वन उपज के बय ः थान से उस ः थान तक कर सकेगा जहां िक ऐसी उपज उसके (व् यिक्त के) वाः तिवक उपयोग (Bonafide) या उपभोग (Consumption) के िलए अपेिक्षत हो।

---

1. मध् य ूदेश िवधान ब. 28 वषर् 1983 जो राजपS िद. 9 अगः त 1983 के पृष्ठ 2264 पर ूकािशत हुआ के द्वारा नवीन धारा 4(2) सः थािपत की गई।
2. म.ू. वन उपज (व् यापार िविनयमन) संशोधन अिधनियम वषर् 1990 से धारा 5 के ः पं टीकरण (2) में संशोिधत िकया।

[1](ग) ऐसी िविनिदर्ं ट वन उपज का, िजसका बय राज् य सरकार से या उक् त उपधारा में िविनिदर्ं ट िकये गये िकसी आिफसर या अिभकतार् से िकसी व् यिक्त के, राज् य के भीतर ऐसे माल के िजसमें िक िकसी िविनिदर्ं ट वन उपज कच् चे माल के रूप में उपयोग में लाई जाती हो, िविनमार्ण के िलए या िकसी व् यिक्त ने राज् य के बाहर िवबय के िलए िकया हो अथवा िजसका बय अनुज्ञप् त िवबेता ने िकया हो, पिरवहन ऐसे व् यिक्त द्वारा, उस सम् बन् ध में ऐसे ूािधकारी द्वारा ऐसी रीित में, और ऐसी फीस का संदाय िकया जाने पर, जैसा िक िविहत िकया जाए, जारी िकये जाने वाले अिभहन पास के िनबन् धनों तथा शतोर्ं के अनुसार िकया जा सकेगा। िविभन् न आकार की पिरवहन गािड़यों के िलए फीस की िविभन् न दरें िविहत की जा सकेंगी, और

(घ) कोई भी व् यिक्त, िजसे तत् समय ूवृत् त िकसी िविध के अधीन िकसी िविनिदर् ट वन उपज के सम् बन् ध में िकसी वन में िनः तार का अिधकार हो, अपने घरेलू उपयोग या उपभोग के िलए ऐसी उपज का, ऐसे पिरणाम में तथा ऐसे िनबन् धनों तथा शतोर्ं के अध् यधीन रहते हुए, जैसा िक िविहत िकया जाए, पिरवहन कर सकेगा।

(3) िविनिदर् ट वन उपज का िवबय करने का इच् छुक कोई भी व् यिक्त उसे पूवोर्क् त शासकीय अिधकारी या अिभकतार् को उक् त इकाई के भीतर िःथित िकसी भी िडपो में बेच सकेगा;

परन् तु, राज् य सरकार, शासकीय अिधकारी या अिभकतार् एक बार बेची गई िविनिदर् ट वन उपज को पुन: बय करने के िलए आबद्ध नहीं होगा।

नोट - (1) िनबन् धन केवल तभी लागू होगा जब सम् बिन्धत िविनिदर् ट वनोपज के सम् बन् ध में अिधसूचना जारी हो। यिद अिधसूचना जारी नहीं होगी, तो िनबन् धन लागू नहीं होगा। शासन िव. िनरपत 1988 MPWN 44 = 1988 िमनसा हा. को नोट 77 पेज 285।

2(धारा 6. िवलुप् त)

2(धारा 7. सरकार मूल् य िनयत करेगी - राज् य सरकार ऐसी रीित में जैसी िक िविहत की जाए वह मूल् य िनयत करेगी िजस पर िक िविनिदर् ट वन उपज उगाने वालों से उसके द्वारा या उसके िकसी ूािधकृत आिफसर या अिभकतार् द्वारा िविनिदर् ट वन उपज का बय िकया जाएगा :

परन् तु िभन् न-िभन् न इकाईयों के िलए िभन् न-िभन् न मूल् य िनयत िकये जा सकेंगे और ऐसा करने में, अन् य बातों के साथ-साथ िनम् नांिकत बातों का ध् यान रखा जाएगा :

(क) िविनिदर् ट वन उपज के मूल् य जो इकाई में समािवं ट क्षेऽ के संबंध में पूववर्तीर् तीन वषर् के दौरान ूचिलत रहे हों या इस अिधनयम या िकसी अन् य अिधिनयिमत के अधीन िनयत िकये गये हों;

(ख) इकाई में की वन उपज की क् वािलटी,

(ग) इकाई में उपलब् ध पिरवहन सुिवधायें,

(घ) पिरवहन का खचर्, और

(ङ) इकाई में ूचिलत अकुशल मजदूरों की मजदूरी का सामान् य ः तर।

धारा 8. िडपो का खोला जाना तथा मूल् य सूची आिद का िडपो पर ूकाशन - ूत् येक इकाई में ऐसी संख् या में, तथा ऐसे ः थानों पर, िजनको िक राज् य सरकार, िविनिदर् ट वन उपज उगाने वालों की सुिवधा का िवचार करते हुए िनदेर्श दे, िडपो (बय केन् ि) ः थािपत िकये जावेंगे और िविनिदर् ट वन उपज की मूल् य सूची, जो िक धारा 7 के अधीन राज् य सरकार द्वारा िनयत की गई हो, तथा काम काज के घण् टे उस सूचना फलक, पर, ूमुख रूप से सम् ूदिशर्त (Displayed) िकये जावेंगे, जो िक उस ूयोजन के िलये ूत् येक ऐसे िडपो में रखा गया है।

धारा 9. राज् य सरकार या अिभकतार् िविनिदर् ट वनोपज का बय करेगा - (1) राज् य सरकार या उसका ूािधकृत अिधकारी या अिभकतार् काम काज के घण् टों में िडपो में िवबय के िलए लाई गई िविनिदर् ट वन उपज को धारा 7 के अधीन िनयत िकये गये मूल् य पर बय करने के िलए बाध् य होगा।

परन् तु राज् य सरकार या उसके ूािधकृत अिधकारी या अिभकतार् को यह ः वतन् ऽता होगी िक वह िकसी भी ऐसी िविनिदर् ट वनोपज का बय करने से इंकार कर दे, जो िक उसकी राय में उपभोग के ूयोजन के िलये या िविनमार्ण के हेतु कच् चे माल के रूप में उपयोग में लाने के िलए या व् यापार के िलये उपयुक् त न हो।

(2) कोई भी व् यिक्त जो उपधारा (1) के परन् तुक के अधीन िकसी ूािधकृत अिधकारी या अिधकतार् द्वारा उसकी िविनिदर् ट वनोपज के अः वीकार िकये जाने के कारण व् यिथत हो, ऐसी अः वीकृित के पन् िह िदन के भीतर, ऐसी इकाइर् पर िजसमें िक िविनिदर् ट वन उपज लाई गई हो या पाई गई हो, अिधकािरता रखने वाले 1वन खण् ड का भार साधक अिधकारी या इस सम् बन् ध में राज् य सरकार द्वारा सशक् त िकये गये अन् य अिधकारी को मामला िनिदर् ट कर सकेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन िशकायत ूाप् त होने पर, यथािःथित 1वन खण् ड का भार साधक अिधकारी या ऐसा अन् य अिधकारी िविहत रीित में जाँच करेगा, और सम् बिन्धत पक्षकारों को सुनने के पँ चात् , ऐसे आदेश पािरत करेगा जैसे िक वह ठीक समझे और उस दशा में जब िक वह िविनिदर् ट वन उपज के अः वीकार िकये जाने को अनुिचत समझे, तो वह

(क) यिद वह ूँ नगत िविनिदर् ट वन उपज को अब भी उस िविनमार्ण के िलये, िजसमें ऐसी िविनिदर् ट वन उपज उपयोग में लाई जाती हो, या व् यापार के िलये उपयुक् त समझता हो, यथािःथत ूािधकृत अिधकारी या अिभकतार् को उसका बय करने का िनदेर्श दे सकेगा और व् यिथत व् यिक्त को ऐसा अितिरक् त ूितकर, जैसा िक वह उिचत समझे, और जो िविनिदर् ट वन उपज के िलये देय मूल् य के बीस ूितशत से अिधक न हो, िदवा सकेगा।

(ख) यिद वह समझे िक ूँ नगत वन उपज इस बीच, उस िविनमार्ण के िलये, िजसमें िक ऐसी वन उपज उपयोग में लाई जाती हो, या व् यापार के िलये अनुपयुक् त हो गई है, यह िनदेर्श दे सकेगा िक व् यिथत व् यिक्त को िकसी ऐसी रकम का, जो िक उपधारा (1) के अधीन उसको ऐसी उपज के िलये देय मूल् य से कम न

हो, तथा ऐसे व् यिक्त द्वारा उठाई गई हाि न के िलये नुकसानी के रूप में ऐसे अितिरक् त ूितकर का जैसा िक वह उिचत समझे और जो ऐसे मूल् य का बीस ूितशत से अिधक न हो के भुगतान का आदेश दे सकेगा।

(4) इस धारा की िकसी भी बात का यह अथर् नहीं लगाया जायेगा िक, यिद राज् य सरकार या उसके ूािधकृत अिधकारी या अिभकतार् को यह िवँ वास करने का कारण हो िक िवबय के िलए ूः तुत की गई उपज राज् य सरकार के वनों की भूिमयों की है, तो वह उसको अिधकार में लेने और केवल ऐसे संमहण सम् बन् धी ूभारों का यिद कोई हो, जैसे िक राज् य सरकार समय-समय पर अवधािरत करे, संदाय करने में कोई रूकावट आती है :

---

1. म.ू. वन उपज (व् यापार िविनयमन) संशोधन अिधिनयम 2009 (ब. 11 वषर् 2009) द्वारा संशोिधत। म.ू. राजपऽ (असाधारण) िद. 3.8.09 को पृष्ठ 781-782 पर ूकािशत।

परन् तु िकसी िववाद की दशा में खंडीय वन अिधकारी, या ऐसा अन् य अिधकारी जो िक उपधारा (2) में िविनिदर्ं ट िकये गये रूप में इस सम् बन् ध में िवशेष रूप में (Specifically) सशक् त कर िदया जावे, उसमें उपबंिधत रीित में उसे सुनेगा और उसका िनपटारा करेगा।

िटप् पणी - मध् य ूदेश शासन वन िवभाग अिधसूना ब. 4247/दस 69 िदनांक 1 अगः त, 1969 राज् य शासन वन उपज (व् यापार िविनयमन) अिधिनयम, 1969 की धारा 9 उपधारा (2) द्वारा ूदत् त शिक्तयों का ूयोग करते हुए समः त पिरक्षेऽ अिधकािरयों को (वन उपज के पिरक्षेऽ अिधकािरयों सिहत) उक् त धारा की उपधारा (2) के आयोजन के िलये सशक् त िकया है।

धारा 10. रिजःशीकरण - िविनिदर्ं ट वन उपज को उगाने वाला ूत् येक व् यिक्त, यिद यह सम् भावना हो िक वषर् के दौरान उसके द्वारा उगाई गई वन उपज का पिरमाण, ऐसे पिरमाण से, जो िक िविहत िकया जाए, अिधक हो जायेगा, ः वयं को िविहत रीित में रिजःशीकृत करा लेगा।

धारा 11. िविनिदर्ं ट वन उपज के िनमार्ताओं, व् यापािरयों तथा उपभोक् ताओं का रिजःशीकरण - (1) ूत् येक िनमार्ता जो िकसी िविनिदर्ं ट वन उपज को कच् चे माल के रूप में उपयोग में लाता है, और ूत् येक व् यपारी या कोई उपभोक् ता, िजसका यथािःथ त वािषर्क उपयोग (Use), आवँ यकता (Requirement) या उपभोग (Consumption) ऐसे पिरमाण से, जो िविहत िकया जाए, से अिधक हो, तो ऐसी कालाविध के भीतर, ऐसी फीस के संदाय पर, तथा ऐसी रीित में, जो िविहत की जाय, ः वयं को रिजःशीकृत करा लेता।

(2) ऐसा ूत् येक िविनमार्ता, व् यापारी या उपभोक् ता, ऐसी घोषणायें, लेखे तथा िववरिणयाँ ऐसे ूारूप में, तथा ऐसे ूािधकारी को, ऐसे अन् तरालों पर, जो िक िविहत िकये जावे, पः तुत करेगा।

िटप् पणी - (1) हसबंस लाल िव. म. ू. राज् य (M.P.L.J. 1983 नोट 7) में यह िनणर्य िलया गया है िक इस अिधिनयम की धारा 11 में वन मण् डलािधकारी को िविनिदर्ं ट वनोपज के िनमार्ताओं का पंजीयन करने के िलए िविधक अिधकार ूाप् त हैं। वन मण् डलािधकारी को ूशासकीय आदेश के द्वारा िविधक ूाप् त अिधकारों का ूयोग करने से रोका नहीं जा सकता है।

धारा 12. िविनिदर्ं ट वन उपज का व् ययन - इस अिधिनयम के अधीन राज् य सरकार द्वारा या उसके अिधकारी या अिभकतार् द्वारा बय की गई िविनिदर्ं ट व उपज ऐसी रीित में जैसी राज् य सरकार िनदेर्श दे बेच दी जायेगी या उसका अन् यथा व् ययन कर िदया जायेगा।

1(धारा 12 (क) िविनमार्ता, व् यापारी या उपभोक् ता द्वारा अितिरक् त िविनिदर्ं ट वन उपज का पुन: िवबय - (1) कोई भी ऐसी िविनमार्ता, जो िकसी वन उपज का उपयोग कच् चे माल के रूप में करता है या िविनिदर्ं ट वन उपज का कोई व् यापारी या उपभोक् ता िजसके पास ऐसी उपज उसके उपयोग, आवँ यकता या उपभोग के पँ चात् अितिरक् त बची रह जाती हो, उसका पुन: िवबय राज् य सरकार की या राज् य सरकार द्वारा इस सम् बन् धमें ूािधकृत िकये गयेिँ कसी आिफसर (जो इस धार में इसके पँ चात् ूािधकृत आिफसर के नाम से िनिदर्ं ट है) की अनुज्ञा के िबना नहीं करेगा। ऐसा िविनमार्ता, व् यापारी या उपभोक् ता जो अपने पास अितिरक् त बच रही िविनिदर्ं ट वन उपज को बेचने का आशय रखता हो, अनुज्ञा के िलए राज् य सरकार या ूािधकृत आिफसर को िलिखत में आवेदन करेगा िजसमें-

(एक) बेची जाने की आिशियत िविनिदर्ं ट वनोपज के पिरमाण का,

(दो) उस दर का िजस पर ऐसी उपज िवबय हेतु ूः थािपत की जाती है, और

(तीन) उस व् यिक्त का िजसको ऐसी ूः थापना की गई है। ः पं ट तौर पर कथन िकया जायेगा।

---

1. धारा 12(क) म.ू. वन उपज (व् यापार िविनयमन) संशोधन अिध. 1986 (15 वषर् 87) जो राजपऽ िद. 24.1.87 पृष्ठ 322-323 पर ूकािशत द्वारा जोड़ी गई।

(2) िविनिदर्ं ट वन उपज का ऐसा कोई भी रिजःशीकृत िविनमार्ता, व् यापारी या उपभोक् ता, जो उपधारा (1) में विणर्त ऐसी वन उपज का बय करने का आशय रखता हो, उसका बय राज् य या ूािधकृत आफसर की िलिखत अनुज्ञा के िबना नहीं करेगा। ऐसा रिजःशीकृत िविनमार्ता, व् यापारी या उपभोक् ता अनुज्ञा के िलये राज् यसरकार या ूािधकृत आिफसर को िलिखत आवेदन करेगा, िजसमें िवबेता का नाम बय की जाने वाली ऐसी वन उपज के पिरमाण का तथा उसके िलए तय पाई गई दर का ः पं ट तौर पर कथन िकया जाएगा।

(3) िविनिदर्ं ट वन-उपज का पुनिवर्बय करने के िलए उपधारा (1) अधीन आवेदन पऽ तथा ऐसी िविनिदर्ं ट वन उपज का बय करने के िलए उपधारा (2) के अधीन आवेदन पऽ ूाप् त होने पर राज् य सरकार या ूािधकृत आिफसर, बेता द्वारा ऐसी फीस का जो िविहत की जाय, (1)...... भुगतान िकया जाने पर दोनों को िलिखत में अनुज्ञा दे सकेगा।

िटप् पणी - (1) माननीय उच् च न् यायालय मध् यूदेश, खंडपीठ भोपाल ने राम जुड़ावन ितवारी िव. वन संरक्षक भोपाल के ूकरण पर यह िनणर्य िदया है िक यािचकाकतार् तथा शासन के बीच भारतीय संिवधान के अनुच् छेद 299 के अधीन संिवदा का पालन नहीं िकया गया है, ऐसी िःथित में राज् य शासन को होने वाली क्षित की वसूली भूराजः व के बतौर वसूल की जाने योग् य नहीं है। कारण िक दोनों पक्षों के बीच संिवदा हुई ही नहीं तथा ऐसे ूकरण पर वन अिधनियम की धारा 82 आकृं ट नहीं होती। (मध् यूदेश वीकली नोट्स 1980 पाटर् बमांक 303)

िटप् पणी - (2) धारा 2(5) तथा 12 पर मध् य ूदेश उच् च न् यायालय, खण् डपीठ ने िनणर्य ूदान िकया है िक राज् य शासन साल के बीज के तेल िनकालने वाले उद्योग के सम् बन् ध में नई नीित घोिषत करते समय, नई एवं पुरानी यूिनट के सम् बन् ध में आरक्षण की नीित अपना सकती है। राज् य शासन के द्वारा राज् य की 190 खंड को मध् य ूदेश ःटेट सहकारी, माकेर्िटंग फेडरेशन के िलये सुरिक्षत रखने की नीित को िविधमान् य माना।

(देखें - म.ू. आइल एक् सटेक् शन ूायवेट िल. िव म.ू. राज् य व अन् य, M.P.L.J. 1983 पृष्ठ 579)

धारा 13. वन उपज का फुटकरा िवबय - (1) कोई भी व् यिक्त िकसी िविनिदर्ं ट वन उपज के फुटकर िवबय में इस धारा के अधीन मन् जूर की गई अनुज्ञिप्त के अधीन ही ःवयं को लगावेगा अन् यथा नहीं।

(2) राज् य शासन, राज् य के भीतर, िविनिदर्ं ट वन उपज के फुटकर िवबय को सुगम बनाने के ूयोजन के िलये, उतने व् यिक्तयों को अनुज्ञा ूदान कर सकेगी, िजतने िक वह उपयुक् त समझे।

(3) कोई भी व् यिक्त, जो िक िविनिदर्ं ट वनोपज के फुटकर िवबय में ःवयं को लगाना चाहता हो, ऐसे ूारूप में ऐसे ूािधकारी को, ऐसी रीित में जैसी िक िविहत की जाये, आवेदन पऽ देगा।

(4) िविहत अिधकारी, ऐसा आवेदन-पऽ ूाप् त होने पर तथा ऐसी फीस के संदाय पर, जो िक िविहत की जाये, ऐे िनबन् धनों (Terms) तथा शतोर्ं के अध् यधीन रहते हुए, जो िक िविहत की जाये, अनुज्ञिप्त मन् जूर कर सकेगा या उसका नवीनीकरण कर सकेगा।

धारा 14. शिक्तयों का ूत् यायोजन - राज् य सरकार, आदेश द्वारा, इस अिधनियम या उसके अधीन बनाये गये िनयमों के अधीन अपनी शिक्त या कृत् यों में से कोई भी शिक्त या कृत् य सहायक वन संरक्षक से अिनम् नौेणी के िकसी भी आिफसर या ूािधकारी (Authority) को ूत् यायोिजत (Delegate) कर सकेगी, जो िक उसे ऐसी शतोर्ं से तथा िनबन् धनों के अध् यधीन रहते हुए, जैसे िक राज् य सरकार आदेश में विनिदर्ं ट करे, ूयोग में लायेगा या उसका पालन करेगा।

नोट - मध् य ूदेश शासन ने इस धारा के अन् तगर्त िनम् नानुसार अिधकृत िकया है - ब. 4248/X/69 िद. 1 अगः त, 1969 मध् य ूदेश वन उपज (व् यापार िविनयमन) अिधनियम 1969 की धारा 14 द्वारा ूदत् त शिक्तयों को उपयोग में लाते हुए, राज् य शासन, एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में उिल्लिखत अपनी शिक्तयों को, अनुसूची के कालम (3) तत् ःथानी ू िविषटयों में िविनिदर्ं ट आिफसरों को ू त् यायोिजत (Delegate) करता है जो उक् त सूची के कालम (4) में िविनिदर्ं ट शतोर्ं तथा िनबन् धों, यिद कोई हो, के अध् यधीन रहते हुए उन् हें ूयोग में लावेंगे।

बमांक	शिक्तयाँ	आिफसर	शतेर् तथा िनबन् धन
1.	अध् यादेश की धारा (3) के अधीन वन उपज, इकाई गिठत करने की शिक्त।	वन संरक्षक वन उपज भोपाल	इस शिक्त का ूयोग राज् य शासन की पूवर् मन् जूरी से िकया जावेगा।
2.	अध् यादेश की धारा 4 के अधीन अिभकताओं को िनयुिक्त तथा िनयुिक्त रद्द करने की शिक्त	क्षेऽीय वृत्त के ूभारी वन संरक्षक	इस शिक्त का ूयोग राज् य शासन की पूवर् मन् जूरी से िकया जावेगा।
3.	अध् यादेश की धारा 8 के अधीन िडपो खोले जाने के िनदेर्श देने की शिक्त	खंडीय वन अिधकारी (वन मण् डलािधकारी)	
4.	अध् यादेश की धारा 19 (1) के अधीन अपराधों का ूशमन की शिक्त	क्षेऽीय वृत्त के ूभार वन संरक्षक तथा खण् डीय वन अिधकारी (वन मण् डलािधकारी)	

(म. ू. राजपऽ िद. 1-8-69 पृष्ठ 1917-18 में ूकािशत)

(2) क. 6880/69 िदनांक 23 अक् टूबर, 1969 (म.ू. राजपऽ असाधारण िद. 23 अक् टूबर 1969 में ूकािशत) के द्वारा शासन ने धारा 5 (ख) के अधीन िविनिदर्ं ट वन उपज को बय करने के िलये वन रक्षक तथा उससे उच् च पद के समः त वन अिधकािरयों को इस खण् ड के ूयोजन के िलये ूािधकारी िनयुक् त िकया है।

(3) बमांक 4247/अ/दस/69 िदनांक 1 अगः त, 1969 (म.ू. राजपऽ िदनांक 1-8-69 पृष्ठ 1917 में ूकािशत) के द्वारा राज् य शासन ने धारा 5(1) के अन् तगर्त समः त वन अिधकािरयों को उनके सम् बिन्धत क्षेऽािधकारों में उक् त धारा के िलये ूािधकृत िकया गया है।

धारा 15. अिधहरणीय सम् पित्त की तलाश, अिभमहण और उसके िलये ूिबया - (1) कोई वन अिधकारी, जो राज् य शासन द्वारा अिधसूिचत िकया जावे या कोई सहायक उपिनरीक्षक पुिलस से अिनम् न ौेणी का कोई अिधकारी, अिधिनयम या उसके अधीन बनाये गये िनयमों के उपबन् धों के अनुपालन केा सुिनिश्चत करने की दृिष्ट से, या ः वयं का यह समाधान करने की दृिष्ट से िक उक् त उपबन् धों का अनुपालन िकया गया है -

[1](1) िविनिदर्ं ट वन उपज के पिरवहन के िलये उपयोग में लाये गये या लाये जाने के आ शियत िकसी व् यिक्त (Person), नाव, गाड़ी (Vehicle) या पाऽ (Receptable) को रोक सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा िकसी ः थान में ूवेश कर उसकी तलाशी ले सकेगा।

[2](1) जब यह िवँ वास करने का कारण हो िक िकसी िविनिदर्ं ट वनोपज के बारे में इस अिधिनयम के अन् तगर्त कोई अपराध िकया है, तब ऐसा कोई वन अिधकारी, जो राज् य सरकार द्वारा अिधसूिचत िकया जावे या सहायक उपिनरीक्षक से अिनम् न ौेणी का कोई पुिलस ऑिफसर ऐसी िविनिदर्ं ट वनोपज को, ऐसे समः तऔजारों, नावों, गािडयों, रः सों, जंजीरों या िकन् हीं अन् य वः तुओं सिहत अिभमहीत कर सकेगा िजसका िक उपयोग इस अिधिनयम के उपबन् धों के अधीन ऐसा अपराध करने में िकया है।

नोट - (1) म. ू. शासन (वन िवभाग की अिध. ब. 15-1-87-द-3(1)/(2) िदनांक 26.12.90 से तथा 15(1) तथा 15(2) के अन् तगर्त समः त वन अिधकािरयों को कायर्वाही करने हेतु अपने क्षेऽािधकारी में अिधकृत करता है।

(2) म. ू. शासन, वन िवभाग, अिध. ब. 18.7.85-दस-3(2) िद. 20.8.87 से धारा 15(1) तथा 15(2) के अन् तगर्त कायर्वाही करने हेतु सहायक उपिनरीक्षक पुिलस से अिनम् न पुिलस अिधकािरयों को अिधकृत करता है।

(3) इस धारा के अधीन िकसी सम् पित्त का अिभमहण (Seize) करने वाला कोई ऑिफसर या व् यिक्त ऐसी समः त सम् पित्त पर यह उपदिशर्त करने वाला िचन् ह लगायेगा, िक उसका इस ूकार अिभमहण िकया गया है और अिभमहीत की गई सम् पित्त को यथाशक् य शीय सहायक वन संरक्षक से अिनम् न ौेणी के ऑिफसर के,िजसे राज् य सरकार ने अिधसूचना द्वारा, इस सम् बन् ध में ूािधकृत िकया हो (जो इसमें इसके पँ चात् ूा िधकृत ऑिफसर के नाम से िनिदर्ं ट है) समक्ष पेश करेगा या जहां पिरमाण या ूपुंज (Bulk) को, अन् य वाः तिवक किठनाई कोध् यान में रखते हुए, यह साध् य न हो िक अिभमहीत की गई सम् पित्त को ूािधकृत अिधकारी के समक्ष पेश िकया जा सके, जहाँ वह अिभमहण की बाबत िरपोटर् ूािधकृत ऑिफसर को करेगा या जहाँ अपराधी के िवरुद्ध दिण्डत कायर्वािहयाँ तुरन् त करना आिशियत हों, वहाँ ऐसे अिभमहण की िरपोटर्, उस मिजःशेट को करेगा जो उस अपराध का िवचारण करने की अिधकािरता रखता हो, िजसके िक कारण अिभमहण िकया गया है :

ब. एफ.26-2-2003-दस-3- मध् यूदेश वन उपज (व् यापार िविनयमन) अिधिनयम, 1969 (ब. 9 सन् 1969) की धारा 15 की उपधारा (1) तथा (3) द्वारा ूदत् त शिक्तयों को ूयोग में लाते हुए तथा इस िवभाग की अिधसूचना ब. 18-1-87-दस-3(1) िद. 26 िदसम् बर 1990 को ूकािशत हुई है, जो "मध् यूदेश राजपऽ (असाधारण)" में िदनांक 28 िदसम् बर 1990 को ूकािशत हुई है, राज् य सरकार एतद्द्वारा क्षेऽीय उप संभाग का ूभार रखने वाले समः त अिधकािरयों, क्षेऽीय वन संभाग का ूभार रखने वाले अिधकािरयों, राष्ट्रीय उद्यान के क्षेऽ संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक तथा अभ् यारण् य के अधीक्षक को उपधारा (3) के ूयोजन के िलए ूािधकृत अिधकारी के रूप में ूािधकृत करती है।

परन् तु जब िविनिदर्ं ट वन उपज, िजसके बारे में ऐसा अपराध िकये जाने का िवँ वास िकया जाता है सरकार की सम् पित्त है और अपराधी अज्ञात है, तब यिद आिफसर पिरिःथितयों के बारे में िरपोटर् अपने पदीय विरं ठ को दे देगा तो पयार्प् त होगा।

[2](3-a) रेंजर से अिनम् न रैंक का कोई वन अिधकारी, िजसने या िजसके अधीनः थ ने यथा

---

1. म. ू. वन उपज व् यापार िविनयम (संशोधन) अिधिनयम 1990 धारा 15(1) तथा 12(2) संशोिधत।
2. म.ू. अिध. ब. 14 वषर् 2007 (म.ू. वनोपज व् यापार िविनयम (संशोधन अिधिनयम) 2006 द्वारा 3अ तथा 5-अ जोड़ा गया।

अिधहरणीय कोई औजार, नाव, गाड़ी, रः से, जंजीरे या कोई अन् य वः तु अिभगृहीत की हैं, इस ूकार अिभगृहीत संपित्त को अिधहरण का ओदश करने वाले ूािधकृत अिधकारी या उस मिजःशेट, जो उस अपराध का, िजसके कारण अिभमहण िकया गया है, िवचारण करने की अिधकािरता रखता हो, के समक्ष जब ऐसा अपेिक्षत हो, पेश करने हेतु ऐसे अिधकारी द्वारा यथा ूाक् किलत ऐसी संपित्त के मूल् य के दुगुने के बारबर रकम की ूितभूित का ऐसे ूरूप में, जैसा िक िविहत िकया जाए, उसके ः वामी द्वारा िनं पादन करने पर िनमुर्क् त कर सकेगा।"

(4) उपधारा (6) के अधीन रहते हुए जहाँ ूािधकृत ऑिफसर का, यथा िःथित िविनिदर्ं ट वनोपज अपने समक्ष पेश िकये जाने पर या अिभमहण के बारे में िरपोटर् के ूाप् त होने पर यह समाधान हो जाता है, िक उसके बार में अपराध िकया गया है, तो वह िलिखत आदेश द्वारा और अिभिलिखत िकये जाने वाले कारणों से उस िविनिदर्ं ट वन उपज को जो इस पकार अिभमिहत की गई है, समः त औजारों, गाड़ियों, नावों, रः सों, जंजीरों, अन् य िकसी अन् य वः तुओं के साथ िजनका िक उपयोग ऐसे अपराध करने में िकया गया है अिधहृत कर सकेगा। अिधकरण के आदेश की एक

ूित, िबना असम् यक िवलम् ब के, वृत्त के 2भारसाधक अधिकारी को भेजी जावेगी, िजसके क्षेS में वन उपज अिभमहीत की गई है।

(5) उपधारा (4) के अधीन िकसी सम् पित्त के अिधहृत (Confiscate) करने वाला कोई आदेश तब तक नहीं िकया जावेगा जब तक िक ूािधकृत अधिकारी -

(क) सम् पित्त के अिधहरण के िलये कायर्वािहयाँ शुरू िकये जाने के बारे में सूचना उस अपराध का, िजसके कारण अिभमहण िकया गया है, िवचारण करने की अधिकािरता रखने वाले मिजःशेट को िविहत ूारूपों में भेज दें।

(ख) उस व् यिक्त को, िजससे वह सम् पित्त अिभमहीत की गई, तथा िकसी ऐसे अन् य व् यिक्त को, िजसके बारे में ूािधकृत ऑफसर को यह ूतीत होता हो िक उसका ऐसी सम् पित्त में कोई िहत है, िलिखत सूचना नहीं देता।

(ग) खण् ड (ख) में िविदरं् ट व् यिक्तयों को, ूः तािवत अिधहरण के िवरुद्ध, ऐसे युिक्तयुक् त समय के भीतर, जैसा िक सूचना में िविनिदर्ष्ट िकया जावे, अभ् यावेदन करने का अवसर नहीं दे देता, और

(घ) अिभमहण करने वाले ऑफसर या व् यिक्त की तथा उस व् यिक्त या व् यिक्तयों की, िजसे या िजन् हें खण् ड (ब) के अधीन सूचना दी गई है, सुनवाई उस ूयोजन के िलये िनयत की जाने वाली तारीख को नहीं कर लेता।

1(5-क) जहाँ मामले की अधिकािरता रखने वाला ूािधकृत अधिकारी अिभमहण या अन् वेषण में ः वयं अन् तमर्ः त है वहाँ अगला उच् च ूािधकारी इस धारा के अधीन कायर्वािहयों का संचालन करने के िलए उसी रैंक के िकसी अन् य अधिकारी के मामला अंतिरत कर सकेगा।"

(6) उपधारा (4) के अधीन िकन् हीं औजारों, गाि़डयों, नावों, रः सों, जंजीरों या िकन् हीं अन् य वः तुओं के (जो अिभमहीत की गई िविनिदरं् ट वनोपज से िभन् न हों) अिधहरण का कोई आदेश नहीं िकया जावेगा यिद उपधारा (5) के खण् ड (ख) में िनिदरं् ट कोई व् यिक्त ूािधकृत ऑफसर के समाधानूद रूप में यह सािबत कर देता है िक िकन् हीं ऐसे औजारों, गाि़डयों, नावों, रः सों, जंजीरों या अन् य वः तुओं का उपयोग उसकी जानकारी या मौनानुकूलता के िबना या यथाःिथित उसके नौकर या अिभकतार् की जानकारी या मौनानुकूलता के िबना िकया गया था और यह िक इस अिधनियम के अधीन के िकसी अपराध के िकये जाने के िलए पूवोर्क् त वः तुओं के उपयोग को रोकने के िलए समः त युिक्तयुक् त और आवँ यक पूवर् सावधािनयाँ बरती गई थी।

---

1. म.ू. अिध. ब. 14 वषर् 2007 (म.ू. वनोपज व् यापार िविनयम (संशोधन अधिनियम) 2006 द्वारा 3A तथा 5-A जोड़ा गया।

2. म.ू. वन उपज व् यापार िविनयम (संशोधन) अधिनियम 2009 की धारा (3) (4) से संशोिधत।

16-क. अिधगृहीत वन उपज या कोई अन् य सम् पित्त, यिद ूािधकृत अधिकारी द्वारा िनमुर्क् त िकए जाने हेतु आदेिशत की गई हो, तो ूािधकृत अधिकारी के आदेश की अपील ूािधकारी द्वारा पुिष्ट होने तक या धारा 15-क के अधीन यथा िविनिदरं् ट उसके द्वारा "ः वूेरणा" से कारर्वाई ूारम् भ करने की कालाविध का अवसान होने तक, इनमें से जो भी पूवर्तर हो, िनरंतर अिभरक्षा के अधीन बनी रहेगी"

1(7) इस धारा के अन् तगर्त तलाशी एवं जप् ती में दण् ड ूिबया संिहता 1973 (ब. 2 वषर् 1973) की धारा 102, 103 के तलाशी एवं जप् ती सम् बन् धी ूावधान, जहाँ तक लागू हो, लागू होंगे।)

धारा 15. क. ूािधकृत अधिकारी के आदेश के िवरुद्ध अपील - (1) ूािधकृत अधिकारी के िकसी आदेश से व् यिथत कोई व् यिक्त, आदेश िकये जाने की तारीख से तीन िदन के भीतर, या ऐसी आदेश सम् िबन्धत तथ् यकी संसूचना उसे नहीं दी गई हो, तो ऐसे आदेश की जानकारी होने की तारीख से तीन िदन के भीतर, उस वन वृत्त के, िजसमें वह वन उपज अिभमहीत की गई हो, 3वन वृत्त के भारसाधक अधिकारी (जो इसमें इसके पँ चात् अपील अधिकारी के नाम से िनिदरं् ट है) को िलिखत में अपील कर सकेगा, िजसके साथ ऐसी फीस दी जायेगी और जो ऐसे रूप में होगी जैसे िक िविहत िकया जाये और उसके साथ2[ूािधकृत अधिकारी के आदेश की ूमािणत ूित संलग् न होगी।

ः पं टीकरण - (1) इस उपधारा में िनिदरं् ट तीस िदन की कालाविध की संगणना करने में वह समय अपविजर्त कर िदया जावेगा जो ूािधकृत अधिकारी के आदेश की ूमािणत ूित अिभूाप् त करने के िलए अपेिक्षत रही हो।

(2)उपधारा (1) में िनिदरं् ट अपील ूािधकारी, उस दशा में जबिक उसके समक्ष कोई अपील न की गई हो, अिभमहण करने वाले ऑफसर को, या व् यिक्त को, और ऐसे िकसी अन् य व् यिक्त को (िजसके अन् तगर्त अपीलाथीर् यिद कोई हो, भी आता है) िजसका िक अपील ूािधकारी की राय में अिधहरण के आदेश से ूितकूलताभािवत होना संभाव् य है, ः वूेरण से की जाने वाली कायर्वाही की सूचना ूािधकृत अधिकारी के आदेश की ूित,
उसे ूाप् त होने की तारीख से तीन िदन के भीतर ः वूेरणा (Suo-moto) से दे सकेगा, और अपील के ज्ञापन के पेश िकये जाने की दशा में, वह अपील की सुनवाई की सूचना उक् त व् यिक्तयों को देगा, और मामले का अिभलेख मंगा सकेगा :

परन् तु अपील की कोई औपचािरक सूचना, अपीलाथीर्, अिभमहण करने वाले कोई ऑफसर या व् यिक्त को और ऐसे िकसी अन् य व् यिक्त, िजसका िक पूवोर्क् तानुसार ूितकूलत: ूभािवत होना संभाव् य है, में से उसको िदया जाना आवँ यक नहीं होगा जो सूचना का अिधत् यजन (waive) कर दे या िजसे अपील की सुनवाई की तारीख, ूािधकारी द्वारा, िकसी अन् य रीित में सूिचत की जा सकती हो।

(3) अपील ्रािधकारी, अपील िकये जाने की, ः वू्ेरणा से की जाने वाली कायर्वाही िकये जाने के बारे में ्रािधकृत ऑफसर को िलिखत सूचना देगा।

(4) अपील अिधकारी, अिधहरण की िवषय-वः तु की अिभरक्षा, उसके पिररक्षण (Preservation) या व् ययन (Disposal)(यिद आवँ यक हो) के िलए अंतिरम (Interim) ः वरूप के ऐसे ओदश पािरत कर सकेगा जैसे िक उसे, उस मामले की पिरिःथितयों में न् याय संगत या उिचत ्रतीत हों।

---

1. म.्र. वनोपज (व् यापार िविनयमन) संशोधन अिधनियम 2006 (ब. 14 वषर् 2007) से िनयत 15(र) संशोिधत। (धारा 6-'अ' जोड़ी गई)
2. म.्र. वनोपज (व् यापार िविनयम) संशोधन अिधनियम 1990 से धारा 15-(7) जोड़ी गई।
3. म.्र. वन उपज (व् यापार िविनयम) संशोधन अिधनियम 2009 की धारा (4) द्वारा संशोिधत।

(5) अपील ्रािधकारी, मामले की ्रकृित या अन् तमर्ः त जिटलताओं को ध् यान में रखते हुए, अपील के पक्षकारों, को उनका ्रितिनिधत् व, उनके अपने-अपने िविध व् यवसाियों द्वारा िकये जाने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(6) अपील की या ः वू्ेरणा से की जाने वाली कायर्वाही की सुनवाई के िलये िनयत की गई तारीख को, या ऐसी तारीख को, िजसके िलये रखी जावे, अपील ्रािधकारी अिभलेख का पिरशीलन (Peruse) करेगा और यिद अपील के पक्षकार यिद ः व् यं उपिःथत हों तो उनकी सुनवाई करेगा या िलिखत में सम् यक् रूप से ्रािधकृत िकये गये िकसी अिभकतार् की माफर्त या िकसी िविध व् यवसायी की माफर्त उनकी सुनवाइर् करेगा और उसके पँ चात् अिधहरण के आदेश की पुिष्ट करने, उसे उलटने, या उसे उपांतिरत (Modification) करने का आदेश पािरत करने के िलये अमसर होगा :

परन् तु कोई अिन्तम आदेश पािरत करने के पूवर्, अपील ्रािधकारी, यिद अपील के उिचत िविनँ चय के िलये या ः वू्ेरणा से की गई कायर्वाही के उिचत िनपटारे के िलये, यह आवँ यक समझा जाता है, िक अितिरक् तजाँच या तो ्राख् यान या खण् डन करने के िलये पक्षकारों को शपथ-पऽ फाइल करने के िलये भी अनुज्ञा दे सकेगा और तथ् यों का सबूत शपथ-पऽ द्वारा िकये जाने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(7) अपील ्रािधकारी, पािरमािणक ः वरूप (Consequential Nature) के ऐसे आदेश भी पािरत कर सकेगा जैसे िक वह आवँ यक समझे।

(8) अिन्तम आदेश की या पािरमािणक ः वरूप आदेश की ्रित, अनुपालन के िलये या अपील अिधकारी के आदेश के अनुरूप कोई अन् य समुिचत आदेश पािरत करने के िलये, ्रािधकृत ऑफसर को भेजी जावेगी।

धारा 15. (ख) अपील अिधकारी के आदेश के िवरुद्ध सेशन न् यायालय के समक्ष पुनरीक्षण - अपील का कोई भी पक्षकार, जो अपील ्रािधकारी द्वारा पािरत िकये गये अिन्तम आदेश से या पािरमािणक ः वरूप के आदेश से व् यिथत हो, उस आदेश के, िजसके िवरुद्ध आक्षेप िकया जाना इिप्सत है, तीस िदन के भीतर, उस सेशन न् ययालय को पुनरीक्षण के िलये यािचका ्रः तुत कर सकेगा, िजसके सेशन खण् ड के भीतर अपील ्रािधकारी का मुख् यालय िःथत हो।

ः पं टीकरण - (1) इस उपधारा के अधीन तीस िदन की कालाविध की संगणना करने में वह समय अपविजर्त कर िदया जायेगा जो अपील अिधकारी के आदेशों की ्रमािणक ्रित अिभ्राप् त करने के िलये अपेिक्षत रहा हो।
(2) सेशन न् यायालय, अपील ्रािधकारी द्वारा पािरत िकये गये िकसी अिन्तम आदेश की या िकसी पािरमािणक ः वरूप के आदेश की पुिष्ट कर स केगा, उसे उलट सकेगा या उसे उपांतिरत कर सकेगा।

(3) पुनरीक्षण में पािरत िकये गये आदेश की ्रितयाँ अपील ्रािधकारी को तथा ्रािधकृत ऑफसर को अनुपालन के िलये, या ऐसे अितिरक् त आदेश पािरत करने के िलए, या ऐसी अितिरक् त कायर्वाही करने हेतु भेजी जायेगी जैसा िक ऐसे न् यायालय द्वारा िनदेर्िशत िकया जाये।

(4) इस धारा के अधीन, िकसी पुनरीक्षण को महण करने (Entertaining), उसकी सुनवाई करने और उसका िविनँ चय करने (Decide) के िलये, सेशन न् यायालय उन् हीं शिक्तयों का ्रयोग करेगा और उसी ्रिबया का अनुसारण करेगा, िजसका िक ्रयोग और अनुसरण वह दण् ड ्रिबया संिहता, 1973 (1974 का 2) के अधीन से िकसी पुनरीक्षण को महण करने, उसकी सुनवाई करने, और उसका िविनिश्चय करने के समय करता है।

(5) दण् ड ्रिबया संिहता, 1973 (1974 का 2) में अन् तिवर्ं ट िकसी तत् ्रितकूल बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन पािरत िकया गया सेशन न् यायालय का ओदश अिन्तम होगा और उसे िकसी भी न् यायालय के समक्ष ्रँ नगत (Called in question) नहीं िकया जाएगा।

धारा 15-ग. कितपय पिरिःथितयों में न् यायालय आिद की अिधकािरता का वजर्न - (Bar) उस अपराध का, िजसके कारण उस सम् पित्त का, जो िक अिधहरण की िवषय-वः तु है, अिभमहण िकया गया है, िवचारण करने की अिधकािरता रखने वाले मिजःशेट को सम् पित्त के अिधहरण के िलये कायर्वािहयाँ शुरू की जाने के बारे में धारा 15 की उपधारा (5) के अधीन सूचना ्राप् त होने पर, िकसी भी न् यायालय, अिधकरण या ्रािधकारी जो यथािःथित धारा 15, 15, क तथा 15 ख में िनिदर्ं ट ्रािधकृत ऑफसर, अपील अिधकारी, सेशन न् यायालय से िभन् न हो को इस अिधिनयम में या तत् समय ्रवृत्त िकसी अन् य िविध में अन् तिवर्ं ट िकसी बात के होते हुए भी उस सम् पित्त के कब् जे, पिरदान, व्

ययन या िवतरण के िवषय में कोई आदेश करने की अिधकािरता नहीं होगी, िजसके िक बारे में धारा 15 के अधीन कायर्वािहयाँ शुरू हो गई हैं :

परन् तु सम् पित्त के व् ययन (disposal) के िलए कोई आदेश पािरत करने के पूवर्, मिजःशेट अपना यह समाधान कर लेगा िक धारा 15 की उपधारा (5) के अधीन कोई सूचना उसके न् यायालय को या उस अपराध का, िजसके कारण सम् पित्त का अिभमहण िकया गया है। िवचारण करने की अिधकािरता रखने वाले िकसी अन् यन् यायालय को ूाप् त नहीं हुई है।

ः पं टीकरण - (1) जहाँ तत् समय ूवृत्त िकसी िविध के अधीन, इस अिधनियम के अधीन िकसी अपराध का िवचारण करने की अिधकािरता दो या अिधक न् यायालयों को हो, वहाँ ऐसी अिधकािरता रखने वाले मिजःशेट के न् यायालयों में से िकसी एक को धारा 15 की उपधारा (5) के अधीन की सूचना ूाप् त हो जाने का यह अथर् लगाया जायेगा िक उस उपबन् ध के अधीन सूचना समः त न् यायालयों को ूाप् त हो गई है और अिधकािरता का ूयोग करने का वजर्न ऐसे समः त न् यायालयों पर ूवितर्त हो गई है और अिधकािरता का ूयोग करने वजर्न ऐसे समः त न् यायालयों पर ूवितर्त होगा।

(2) इसमें इसके पूवर् अन् तिवर्ं ट िकसी भी बात के सम् बन् ध मेंयह नहीं समझा जायेगा िक वह राज् यसरकार द्वारा इस सम् बन् ध में ूािधकृत िकये गये िकसी ऑफसर को इस बात से िनवािरत करती है िक वह धारा 15 के अधीन अिभमहीत (Seized) की गई िकसी सम् पित्त को तुरन् त िनमुर्क् त िकये जाने का िनदेर्श िकसी भी समय दें।

धारा 15. घ. सम् पित्त का अिधहरण जबिक वह उपज सरकार की सम् पित्त न हो - ऐसी समः त िविनिदर्ं ट वन उपज, जो दोनों में से ूत् येक, सरकार की सम् पित्त नहीं है, और िजसके िवषय में, इस अिधनियम के, या उसके अधीन बनाये गये िनयमों के िकसी उपबन् ध का उल् लंघन िकया है, तथा समः त औजार, नावें, गािड़याँ, रः से, जंजीरें या कोई अन् य वः तुएँ, िजसकी ूत् येक दशा में उपयोग ऐसा उल् लंघन करने में िकया गया है अपराधी को ऐसे उल् लंघन के िलये दोषिसद्ध ठहराये जाने पर धारा 15, 15-क, 15-ख, 15-ग के उपबन् धों के अध् यधीन रहते हुए अिधहरणीय होगी।

धारा 16. शािःत - यिद कोई व् यिक्त इस अिधनियम या उसके अधीन बनाये गये िनयमों के उपबन् धों में से िकसी भी उपबन् ध का उल् लंघन करेगा तो -
(क) वह कारावास से, जो [1](दो वषर्) तक का हो सकेगा या जुमार्ना से जो [1](पच् चीस हजार रुपये) तक का हो सकेगा, या दोनों से दण् डनीय होगा।

---

1. म.ू. वन उपज (व् यापार िविनयम) संशोधन अिधनियम 1990 से िनयम 16 में संशोधन।

(ख) उस वन उपज को िजसके सम् बन् ध में ऐसा उल् लंघन िकया गया हो, या उसके ऐसे भाग का जैसा िक न् यायालय का उिचत ूतीत हो, सरकार के पक्ष में समपहरण (Forefeit) िकया जा सकेगा।

परन् तु यिद न् यायालय की राय हो िक यथाः िथत सम् पूणर् िविनिदर्ं ट वन उपज या उसके िकसी भाग के सम् बन् ध के समपहरण का िनदेर्श देना आवँ यक नहीं है तो वह अिभिलिखत िकये जाने वाले कारणों के आधार पर ऐसा करने से िवरत रह सकेगा।

धारा 17. ूयत् न का दुं ूेरणा - िकसी भी ऐसे व् यिक्त के सम् बन् ध में, जो िक इस अिधनियम या उसके अधीन बनाये गये िनयमों के िकसी उपबन् ध का उल् लंघन करने का ूयत् न करें या उसके उल् लंघन को दुं ूेिरत (Abets) करे तो यह समझा जायेगा िक उसने ऐसे उपबन् धों का उल् लंघन िकया है।

धारा 18. अपराधों का संज्ञान (Cognizance of Offences)- [1]वन खण् ड का भारसाधक अिधकारी से अिनम् न ौेणी के िकसी वन अिधकारी द्वारा या िकसी अन् य आिफसर द्वारा, जो िक इस सम् बन् ध ने राज् य सरकार द्वारा ूािधकृत कर िदया जाये, उन तथ् यों के सम् बन् ध में, िजनसे िक अपराध बनता हो, की िलिखत िरपोटर् के िबना कोई भी न् यायालय, इस अिधनियम के अधीन दण् डनीय िकसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा।

नोट - मध् य ूदेश शासन ने अिधसूचना बमांक 4247/ब/दस/69 िद. 1 अगः त, 1969 के द्वारा, (जो रापजऽ िद. 1 अगः त, 1969 में ूकािशत) धारा 18 के अधीन शिक्तयों को ूयोग में लाते हुए समः त सहायक वन संरक्षक व अितिरक् त सहायक वन संरक्षकों को उक् त धारा के ूयोजनों के िलये अिधकृत िकया है।

धारा 19. अपराधों का ूशमन - (1) राज् य सरकार अिधसूचना द्वारा िकसी वन अिधकारी को इस बात के िलये सशक् त कर सकेगी िक वह -

(क) िकसी ऐसे व् यिक्त से, िजसके िक िवरुद्ध यह युिक्तयुक् त संदेह िवद्यमान हो िक उसने इस अिधनियम या उसके अधीन बनाए गए िनयमों के अधीन दण् डनीय कोई अपराध िकया है, उस अपराध के िलए, िजसके बारे में यह संदेह है िक उसने ऐसा अपराध िकया है, ूितकर के रूप में कोई धनरािश ूितगृिहत करे; और

(ख) जब िविनिदर्ं ट वन उपज से िभन् न कोई सम् पित्त अिधहरणीय होने के कारण अिभगृहीत की गई है, तो समुिचत ूािधकारी द्वारा ू ािधकृत अिधकारी के आदेश पािरत िकए जाने के पूवर् िकसी भी समय ऐसे अिधकारी द्वारा यथाूाक् किलत उसके मूल् य का संदाय कर िदया जाने पर, उस सम् पित्त को िनमुर्क् त कर दे;

(2) यथािःथित ऐसी धनरािश, या ऐसे मूल् य या दोनों का ऐसे अिधकारी को संदाय िकया जाने पर, संिदग् ध व् यिक्त को, उन् मोिचत कर िदया जाएगा और िविनिदर्ं ट वन उपज से िभन् न अिभगृहीत सम् पित्त, यिद कोई हो, िनमुर्क् त कर दी जाएगी और ऐसे व् यिक्त या ऐसी सम् पित्त के िवरुद्ध कोई और कायर्वािहयाँ नहीं की जाएगी;

(3) कोई वन अधिकारी इस धारा के अधीन तब तक सशक् त नहीं िकया जाएगा जब तक िक वह रेंजर की रैंक से अनिम् न रैंक का वन अधिकारी न हो, तथा उपधारा (1) के खण् ड (क) के अधीन ूितकर के रूप् में ूितगृहीत धन की रािश िकसी भी मामले में वन उपज के मूल् य के दोगुने से कम की नहीं होगी;

---

1. म.ू. वन उपज (व् यापार िविनयम) संशोधन अधिनियम 2009 से संशोिधत।

परन् तु ऐसी वन उपज के मामले में, िजसके संबंध में कोई अपराध िकया गया है, सरकार की सम् पित्त नहीं है या ऐसी वन उपज के मामले में, िजसका मूल् य एक हजार रुपये से कम है या यदि अपराधी ने ूथम बार अपराध िकया है, तो संिदग् ध व् यिक्त को उन् मोिचत िकया जा सकेगा तथा वन उपज से िभन् न सम् पित्त, यदि कोई हो, जो अभिगृहीत की गई हैं, दस हजार रुपये की रािश के या ऐसी अभिगृहीत सम् पित्त के मूल् य, जो भी कम हो, के संदाय पर िनमुक् त की जा सकेगी; अभिगृहीत वन उपज केवल तब तक ही िनमुर्क् त की जा सकेगी; जब वह, यथािःथित, सरकार की सम् पित्त नहीं है या जब उसके मूल् य का संदाय कर िदया जाता है।

नोट - (1) म.ू. शासन ने अधिसूचना ब. 4248/X/65 िद. 1 अगः त, 1969 के द्वारा इस धारा के अधीन क्षेऽीय वन संरक्षक तथा खण् डीय वन ऑफसर को अधिकार ूत् यायोिजत िकया है।

िटप् पणी - (1) अपराधों का ूशमन तभी पूणर् होगा जब राजीनामा की रािश पटा दी गई हो। िबना रािश पटाये अपराध का ूशमन होने पर तथा बाद में न पटाने पर यह रािश भू. रा. सं. की धारा 155 के अन् तगर्त राजः व बकाया के रूप में वसूली योग् य नहीं है। (देखें J.L.J 1978पृष्ठ613 ूेमनारायण िकशनलाल िव. म.ू.
राज् य) यही फैसला िदनेश कुमार िव. डी.एफ.ओ. में भी िदया गया है। (1948 Weekly notes 54)

(2) अधिनियम की धारा 19(1) के अधीन अपराधों का ूशमन करने की शिक्त - समः त सहायक वन संरक्षक (क्षेऽीय वन सम् भाग) वन् य जीव वन सम् भाग में पदः थ क्षेऽीय अधिकार रखने वाले समकक्ष अधिकारी समः त खण् डीय वन अधिकारी तथा वन् य जीवन सम् भाग क्षेऽीय संभाग में पदः थ समकक्ष आफसर वन् य जीव। राष्टर्ीय उद्यानों पर क्षेऽीय अधिकािरता रखने वाले वन वृत्त के आिफसर।

अध. ब. 26.02.2002-दस-3 िदनांक 5.5.2008 से जोड़ा गया।

धारा 20. सद्भावनापूवर्क िकये गये कायोर्ं के सम् बन् ध में व् यावृित्त (Saving)- (1) िकसी भी व् यिक्त के िवरुद्ध, िकसी भी ऐसी बात के िलये जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये िनयमों के अनुसरण में सद्भावनापूवर्क की गई हो, िजसका इस ूकार िकया जाना आशियत रहा हो, कोई भी वाद, अभियोजन या अन् यिविधक कायर्वाही ूः तुत नहीं होगी।

(2) राज् य सरकार के िवरुद्ध अधिनियम के उपबन् धों के आधार पर या िकसी भी ऐसी बात के द्वारा, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये िनयमों के अनुसरण में सद्भावनापूवर्क की गई हो या िजसका ऐसा िकया जाना आशियत रहा हो, पहुँचाये गये या संभाव् यता पहुँचाये जाने वाले िकसी नुकसान अथवा उठाई गई या संभाव् यत: उठाई जाने वाली िकसी क्षित के िलये कोई वाद या िविधक कायर्वाही ूः तुत नहीं होगी।

धारा 21. िनयम बनाने की शिक्त - (म.ू. वन उपज (व् यापार िविनयमन) संशोधन अधिनियम, 1986 के द्वारा संशोिधत)

(1) राज् य सरकार पूवर् ूकाशन की शतोर्ं के अध् यधीन रहते हुए, इस अधिनियम के समः त उपबन् धों को या उसके िकसी भी उपबन् ध को कायार्िन्वत करने के िलये िनयम बना सकेगी।

(2) िविशं टतः और पूवर्गामी शिक्त की व् यापकता पर ू ितकूल ू भाव डाले िबना ऐसे िनयमों में िनम् निलिखत समः त या िकन् हीं िवषयों के िलये उपबन् ध हो सकेंगे, अथार्त्

(क) धारा 4 के अधीन अभिकतार्ओं की िनयुिक्त सम् बन् धी िनबन् धन शतेर्ं तथा ूिबया

(ख)(एक) िविनिदर्ं ट वन उपज का वह पिरमाण, िजसका िक धारा 5(2) (ख) के अधीन उपभोक् ता द्वारा पिरवहन िकया जा सकेगा।

(दो) 1धारा 5 की उपधारा (2) के खण् ड (ग) के अधीन अभिवहन पास के िनबन् धन तथा शतेर्ं, िजनके अध् यधीन रहते हुए िविनिदर्ं ट वन उपज का पिरवहन िकया जा सकेगा, वह ूािधकारी िजसके द्वारा तथा वह रीित िजसमें तथा वह फीस िजसका संदाय िकया जाने पर ऐसा अभिवहन पास जारी िकया जायेगा।

(ग)(एक) धारा 6(3) के अधीन सिमित के कामकाज के संचालन की रीित।

(दो) ऐसे भत् ते िजनके िलये सिमित के सदः य धारा 6(4) के अधीन हकदार होंगे।

(घ) धारा 7 के अधीन मूल् य सूची का ूकाशन।

(ङ) धारा 9 (3) के अधीन जाँच करने की रीित।

(च)(एक) िविनिदर्ं ट वन उपज के पिरमाण की धारा 10 के अधीन िविहत िकया जाना

(दो) धारा 10 के अधीन रिजःशीकरण की रीित।

(छ)(एक) िविनिदर्ं ट वनोपज के पिरमाण की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन िविहत िकया जाना।

(दो) वह कालाविध िजसके भीतर, वह फीस िजसके संदाय तथा वह रीित िजसमें धारा 1 की उपधारा (1) के अधीन रिजःशीकरण िकया जायेगा।

(तीन) वे घोषणाएँ, लेखे तथा िववरिणयाँ जो िक धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन ूः तुत की जायेंगी और वह ूरूप िजसमें, वह अफसर िजसे तथा वे अन् तराल िजन पर वे ूःतुत की जावेंगी। [1](छ-छ)

धारा 12-क की उपधारा (3) के अधीन वह [2]रािश िजसका संदाय िकया जाने पर अनुज्ञा दी जा सकेगी।

(ज) वह ूरूप िजसमें, वह ूािधकारी िजसे, तथा

(एक) वह रीित िजसमें धारा 13 की उपधारा (3) के अधीन आवेदन पऽ िदया जायेगा।

(दो) अनुज्ञिप्त के जारी िकये जाने तथा उसके नवीनीकरण के िलये फीस और वे िनबन् धन तथा शतेर्ं िजनके अध् यधीन रहते हुए धारा 13 की उपधारा (4) के अधीन ऐसी अनुज्ञिप्त मन् जूर की जायेगी।

[2](ज-ज) धारा 15 की उपधारा 5 के अधीन वह पारूप, िजसमें सम् पित्त के अिधहरण की कायर्वाही की सूचना भेजी जावेगी।

[2](ज-ज-ज) धारा 15-'क' की उपधारा (1) के अधीन वह ूारूप िजसमें अपील की जायेगी तथा वह फीस जो ऐसी अपील के साथ ूः तुत की जायेगी और रूप िजसमें उसका संदाय िकया जायेगा।

(झ) कोई अन् य िवषय, िजसका इस अिधनियम के अधीन िविहत िकया जाना आवँ यक समझा जावे।

(3) इस अिधनियम के अधीन बनाये गये समः त िनयम िवधान सभा पटल पर रखे जावेंगे।

[3](धारा 22. भारतीय वन अिधनियम के उपबन् ध अन् य िवषयों को लागू होंगे-

---

1. म.ू. वन उपज (व् यापार िविनयमन) संशोधन अिधनियम 1986 (ब. 15 वषर् 1987) द्वारा जोड़े गये।2. म.ू. (व् यापार िविनयम) संशोधन अिधनियम 1990 (ब. 16 वषर् 1990) द्वारा संशोिधत। म.ू. राजपऽ (असाधारण) िद. 21.8.90 पृष्ठ 1937-1938 पर ूकािशत।

3. म.ू. वनोपज (व् यापार िविनयम) संशोधन अिध. (ब. 15 वषर् 1987) द्वारा संशोिधत।

(1) िविनदर्ं ट वन उपज से सम् बिन्धत वे िवषय िजनके िलये इस अिधनियम में उपबन् ध नहीं हैं और िजनके िलये उपबन् ध भारतीय वन अिधनियम, 1927, (1927 का सं. 16) में है, उस अिधनियम के उपबन् धों द्वारा शािसत होंगे।

(2) िकसी अन् य िविध, िनयम या आदेश में, या राज् य के िकसी क्षेऽ में िव िध का ूभाव रखने वाले िकसी अन् य िवषय में अन् तिवर्ं ट कोई भी बात उन िवषयों के सम् बन् ध में िविनदर्ं ट वन उपज को लागू नहीं होगी िजनके िलये इस अिधनियम में अन् तिवर्ं ट है।

[1](धारा 22-क. िविनदर्ं ट वन उपज की अिधनियम से ूवत् तर्न से अपिरवितर्त करने की शिक्त - (1) राज् य सरकार समय-समय पर अिधसूचना द्वारा यह िनदेर्श दे सकेगी िक उसमें (अिधसूना में) िविनदर्ं ट की गई तारीख से कोई वन उपज जो धारा 1 की उपधारा (3) में विणर्त या उसके अधीन जारी की गई अिधसूचना में िविनदर्ं ट की गई हो, ऐसे क्षेऽ या क्षेऽों के सम् बन् ध में जो िक उक् त अिधसूचना में िविनदर्ं ट की गई हो, ऐसे क्षेऽ या क्षेऽों के सम् बन् ध में जो िक उक् त अिधसूचना में िविनदर्ं ट िकया जाये, िविनदर्ं ट वन उपज नहीं रहेगी।

(2) राज् य सरकार समय-समय पर एक ऐसी ही अिधसूचना द्वारा, यह िनदेर्श दे सकेगी िक उसमें (अिधसूचना में) िविनदर्ं ट की गई तरीक से वह िविनदर्ं ट वन उपज न रह गई हो, ऐसे क्षेऽ या क्षेऽों के सम् बन् ध में जो िक उस अिधसूचना में िविनदर्ं ट वन उपज होगी।

(3) उपधारा (1) या (20) के अधीन जारी की गई ूपँ चात् शीय िवधान सभा के पटल पर रखी जायेगी।

त् येक अिधसूचना उसके जारी िकये जाने के

धारा 23. िनरसन - मध् य ूदेश वन उपज (व् यापार िविनयमन) अध् यादेश, 1969 (ब. 9, वषर् 1969) एतद्द्वारा िनरः त िकया जाता है।

न् यायालयीन िनणर्य

िटप् पणी - (1) सन् तोष कुमार िमौा िव. म.ू. राज् य मे न् यायमूितर् ौी सी.पी. सेन ने यह िनणर्य ूदान िकया है िक म.ू. वन उपज (व् यापार िविनयमन) अिधनियम, 1969 की धारा 15 के अधीन यिद िकसी वन अिधकारी ने शक जप् त िकया है तो ऐसी जप् ती पुिलस िवभाग द्वारा जप् ती नहीं मानी जावेगी तथा ऐसी जप् ती के िलये द.ू.सं., 1973 की धारा 457 के ूावधान लागू नहीं होते हैं।

(2) करोड़ी मल अमवाल िव. म.ू. राज् य (म.ू. ला. जन. 1988 पृष्ठ 600) में अपराध 18-11-83 को हुआ। इस ू करण में वन अिधकारी ने म.प. वन उपज (व् यापार िविनयमन) अिधनियम के िनयम 15 के अन् तगर्त अिधहरण का आदेश िदया गया। यह आदेश िनयम के िवरुद्ध था। तथा इस ूकरण में भारतीय वन अिधनियम ब. 16/1927 के उपबन् ध लागू नहीं होंगे तथा धारा 22 की रोक के कारण भारतीय वन अिधनियम 1927 का संशोिधत म.ू. अिधनियम 25/1983 (ूभावी िदनांक 1-11-1983 को संशोिधत) की धारा 52ए को लागू नहीं िकया जा सकता और वन उपज व् यापार िविनयमन (म.ू.) अिधनियम 1969 के संशोधन अिधनियम ब. 15/1987 के पूवर् की अिधहरण (Confiscation) की कायर्वाही को उस िवशेष अिधनियम के अधीन कायम नहीं रखा जा सका।

(4) ओम ्रकार अमवाल िव. ः टेट म.्र. - 1994 (11) म.्र. ज् युिडिशयल िरपोटर्र 145 में जिःटस यू.एल. भट तथा जिःटस एम.व् ही. तामः कर डीबी हाईकोटर् म.्र. ने इस मामले के िरफरैन् स के साथ िविध का यथाथर् िवँ लेषण िकया है िजसमें 27, 28 िदसम् बर 1983 की बीच राि5 का वन अपराध है इसमें हाईकोटर् ने भारतीय वन अिधनियम 1927 के म.्र. संशोधन अिधनियम ब. 25/1983 (्रभावी 1-11-1983) के अधीन यिद अिधहरण की कायर्वाही आवँ यक समझी जाये तो यान के मािलक को पूवर् नोिटस तथा सुनवाई का अवसर देकर की जा सकती ऐसा िविनिश्चत िकया - (पैरा 8) तथा वतर्मान में अिधहरण की िबना नोिटस और सुनवाई का अवसर िदये की गई कायर्वाही को अवैधािनक ठहराकर िनरः त िकया (पैरा 3, 8) 1994 (II) म.्र. जे.आर.
145) डाबी हाईकोटर् (म.्र.)।

---

1. म.्र. वनोपज (व् यापार िविनयमन) संशोधन ब. 16 वषर् 1972 की धारा-3 से िनयम 22(क) जोड़ा गया।

ः टेट म.्र. िव. राकेश कुमार 1994 (1) म.्र. ज् युिडिशयल िरपोटर्र 368 (जिःटस एस.के. दुबे म.्र. हाईकोटर्) धारा 52 एवं 52-सी (संशोिधत अिधनियम ब. 25/1983) के अनुसार न् याियक मिजःशेट को िविधवत वन अपराध के कािरत होने के संदभर् में वन उपज या यान, उपकरण का अिभमहण, वन अिधकारी द्वारा की जाने तथा अिधहरण (Confiscation) की कायर्वाही ्रारम् भ करने की सूचना दे दी िजससे उस मामले में न् याियक मिजःशेट को धारा 457 और 451 दण् ड ्रिबया संिहता 1973 के अधीन कायर्वाही करने की अिधकािरताcease (समाप् त) हो जाती है - जिःटस ए.के. दुबे ने िविनिश्चत िकया -"The Seizure of the truck by the police officer for the forest offence coupled with the offence under Penal Code or any other enactment, in the opinion of this Court, will not make any difference after the intimation of initiation of proceedings under sec. 52(4) of Cofiscation and the jurisdiction will stand outsted of the magistrate concerned to deal with the subject-matter so seized for passing the order for interim or final custody under the provisions of Sec. 451 and 457 Cr P.C." 1994(1) M.P.J.R. 368 para 110(H.C., M.P.) Justic S.K. Dubey);

(1) कन् हैयालाल िव. ः टेट म.्र. - 1998 जलाज 94 इस मामले में शक पुिलस द्वारा सीज (Seize) नहीं िकया गया था तथा मिजःशेट के सामने पेश नहीं हुआ था। धारा संशोिधत 52-C (IF Act) के कारण धारा 451Cr PCकी अिधकािरता ousted होनी मानी गई।

(2) अशोक कुमार िव. ः टेट म.्र. - िबिमनल िरव् हीजन ब. 59/1989- िनणीर्त िद. 13-4-1994 Unreported case में भी यही View िकया गया है।

(3) (रेंज फारेः ट आफीसर िव. रोडीलाल - 1987 बीमीनल लॉ जनरल 1314) - में करार िदया गया िक जब सेशन् स न् यायालय धारा 52-B(2)(IF Act) के अधीन िरव् हीजन सुनता है तब िअ दकािरता पर रोक हट जाती है िजसमें सेशन् स जज उस आदेश के िवरुद्ध िरव् हीजन आवेदन पर िवचार करता है िजसमें अपीलीय आदेश में अपील को िनरः त कर अिधहरण की धारा 52 (IF Act) में की गई कायर्वाही बहाल रखी गई है।

िरषी नाथ िसंह िव. ः टेट म.्र. - 1992 म.्र. लॉ जनर्ल 159 - एक शक वन िवभाग ने सीज (Seize) िकया था और पुिलस ः टेशन में मामला 353, 186 सहपिठत धारा 34(IPC) में रिजः टर हुआ था िकन् तु धारा 52-C(IF Act) की दृिष्ट से कन् हैयालाल केस (उपरोक् त) तथा बाबूलाल लोदी िव. ः टेट म.्र. - 1987 ज.ला.ज.
423 का अनुसरण करते हुए धारा 451, 457, CrPC की कायर्वाही का अिधकार सुरिक्षत नहीं रहना (not saved) माना गया।

ः टेट म.्र. िव. कुंवर लाल (1994(1) म.्र. वी. नोट 48) - इस मामले में शैक्टर शाली पत् थरों के Slabs ले जाते हुए वन िवभाग के ्रािधकारी नेSeizeिकया था और मुख् य न् याियक मिजःशेट को इन् टीमेशन िदया अत: धारा 457CR PC की अजीर् खािरज हुई।

(4) महुआ फूल िविनिदर्ं ट वनोपज िद. 12-6-72 से नहीं रहा है।

(5) अन् य िविध लागू न होना - ऐसा लागू न होना आंिशक है, पूणर् नहीं कन् हैयालाल िव. म. ्र. राज् य 1988 J.L.J. 94 Such exclusion is partial & not absolute

िमसलेिनयस िपटीशन ब. 2875/1983 जबलपुर, के िद. 24.6.88 के िनणर्य अनुसार वन अिधकारी द्वारा वनोपज राजसात करने के आदेश िविध िवरुद्ध हैं। अिधनियम में संशोधन अिध. (15 वषर् 1987) के पूवर् वन अिधकािरयों को यह शिक्त नहीं दी है।

(6) अपराध में जप् त वाहन िजसके िवरुद्ध राजसात की कायर्वाही चल रही हो, इस कायर्वाही ्रारम् भकरने की सूचना न् यायालय को देने के उपरान् त मिजःशेट को द.्र.स. की धारा 451-457 के अन् तगर्त शक को सुपुदर्नामें पर देने की अिधकािरता नहीं रहती है। (िरशीनाथ िव. म.्र. राज् य ्र.ब. 163 वषर् 1991)MPLJ 1992 Page 159.

(7) धारा 15 (i) तथा 15(5) - ्रािधकृत अिधकारी द्वारा यान के अिधहरण की कायर्वाही ्रारम् भ की गई। सम् बिन्धत मिज. को ऐसी कायर्वाही ्रारम् भ करने की सूचना दी। अिधनियम के उपबन् धों के अनुसरण के अन् यथा िकसी भी न् यायालय या अिधकारी को यान छोड़ने की अिधकािरता नहीं है। म.्र. राज् य िव. अिनल िकशोर 1996(i) M.P.W.N. 31